राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 723/2014

सत्यनारायण शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन) पीएचईडी, राजस्थान जल भवन, 2, सिविल लाईन्स, जेकब रोड, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, पीएचईडी, कोटा सर्किल, प्रताप नगर, दादाबाड़ी, कोटा।
4. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.09.2014
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रवि अग्रवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.06.2014 जिसके द्वारा आदेश दिनांक 17.01.2011 को निरस्त किए जाने का आदेश दिया गया, को अपास्त फरमाया जावे तथा समस्त पारिणामिक पेंशन लाभ आदि प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ जो देय हैं, उनका एवं ग्रेच्युटी राशि का पूर्ण भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें तथा 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मय वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आदेश दिनांक 22.03.1977 को हुई थी और उसे एलडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, तदुपरान्त अपीलार्थी आदेश

दिनांक 30.03.2010 के द्वारा यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 17.01.2011 के द्वारा प्रदान किया गया। अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एलडीसी के पद पर कार्यग्रहण करने के पश्चात् प्रदान किए गए, इस तरह के लाभ केवल अपीलार्थी को ही नहीं बल्कि अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिकों को प्रदान किए गए और अन्य कार्मिक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। उनके मामले में किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं की गई। अपीलार्थी जन्म तिथी के अनुसार दिनांक 30.01.2014 को सेवानिवृत्त हो गया और उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। सेवानिवृत्ति पश्चात् विभाग द्वारा दिनांक 25.02.2014 को आदेश जारी किया गया, जिसमें कथन किया गया कि अपीलार्थी एक पदोन्नति उपरांत केवल 2 चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है और इस प्रकार तृतीय चयनित वेतनमान नहीं दिए जाने हेतु अभिशंषा की गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति पश्चात् अप्रेल, 2014 में अस्थायी पेंशन स्वीकृत की गई, जिसका कोई कारण भी नहीं बताया गया और न ही निराकरण किया गया। जबकि नियमानुसार पूर्ण रूप से पेंशन स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है और सेवानिवृत्ति पश्चात् कार्मिक ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी राशि भुगतान की गई, जो नियम विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध न ही कोई आपराधिक मामला और न ही कोई विभागीय जांच लंबित है, फिर भी विभाग द्वारा 25 प्रतिशत ग्रेच्युटी राशि रोकी गई और पेंशन भी विलम्ब से स्वीकृत की गई, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 13.06.2014 जारी किया गया, जिसमें तृतीय चयनित वेतनमान प्रदान किए जाने वाले आदेश दिनांक 17.01.2011 को निरस्त किया गया तथा अपीलार्थी को दिए गए तृतीय चयनित वेतनमान का अतिरिक्त भुगतान की वसूली आदेश जारी किया गया। उनका कथन है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के आधार पर तीन चयनित वेतनमान कार्मिक प्राप्त करने का निम्न रूप से हकदार है :–

> *"The service of nine, eighteen or twenty seven years, as the case may be, shall be counted from the date of first appointment in the existing cadre/service in accordance with the provisions contained in the Recruitment Rules;*
>
> *Provided that if an employee subsequent to his first appointment to a post in a cadre/service, as a result of direct*

recruitment, is appointed to some other post in the same cadre or any other cadre, service from the date of later appointment shall be taken into consideration for the purpose of grant of Selection grades;

Provided further that if an employee subsequent to his first appointment to a post in a cadre/service, in accordance with provisions contained in the relevant service rules, is promoted to a post in some other cadre, service from the date of such promotion shall be taken into consideration for the purpose of grant of the Selection grades;"

उनका यह भी कथन है कि उपरोक्त नियम के बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देने से निरस्त किए जाने का आलोच्य आदेश जारी किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.06.2014 जिसके द्वारा आदेश दिनांक 17.01.2011 को निरस्त किए जाने का आदेश दिया गया, को अपास्त फरमाया जावे तथा समस्त पारिणामिक पेंशन लाभ आदि प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ जो देय हैं, उनका एवं ग्रेच्युटी राशि का पूर्ण भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें तथा 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मय वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कार्यालय अधीशाषी अभियंता, भू–मापन एवं जल निस्तारण खण्ड कोटा के आदेश दिनांक 22.03.1977 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 01.11.1983 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत हुआ तथा आदेश दिनांक 15.05.2014 के द्वारा आदेश दिनांक 17.01.2011 के द्वारा स्वीकृत एसीपी को निरस्त कर अधिक भुगतान की वसूली किए जाने का नोटिस जारी किया गया, जिसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया और उसके उपरांत ही आलोच्य आदेश दिनांक 13.06.2014 जारी किया गया, जो विधि एवं नियमों के अनुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आदेश दिनांक 22.03.1977 को हुई थी और उसे एलडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, तदुपरान्त अपीलार्थी आदेश दिनांक 30.03.2010 के द्वारा यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 17.01.2011 के द्वारा प्रदान किया गया। अपीलार्थी दिनांक 30.01.2014 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 17.01.2011 के द्वारा तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने उपरांत आदेश दिनांक 13.06.2014 के द्वारा उक्त लाभ को निरस्त किए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई थी और कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हुई। इस प्रकार अपीलार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक के पद पर होने के फलस्वरूप कैडर मंत्रालयिक होने से 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु अपीलार्थी को विभाग द्वारा एलडीसी से यूडीसी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, उसके उपरांत भी अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रदान किया गया, जो हमारे मत में सही एवं उचित प्रकट होता है क्योंकि अधिसूचना दिनांक 06.10.2008 के बिंदु संख्या 3 के (iii)(5) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *"(5) Existing Government servants who have already availed benefit of three selection grades will not be eligible for the grant of ACP. Those Government servants who have availed benefit of one selection grade/one promotion will be eligible for second and third ACP on completion of 18 and 27 years of regular service respectively. Similarly those Government servants who have availed benefit of two selection grades/two promotions/one promotion and one selection grade, as the case may be, will be eligible for third ACP on completion of 27 years of regular service."*

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि यदि किसी कार्मिक को दो चयनित वेतनमान एवं एक पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है तो वह 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को दो 9 एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है एवं एक पदोन्नति का लाभ भी दिया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त नियमानुसार अपीलार्थी 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान (एसीपी) का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसकी सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से

करते हुए देय है। जहां तक अपीलार्थी से वसूली आदेश जारी किए जाने का प्रश्न है, कार्मिक को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

उपरोक्तानुसार इस प्रकार वसूली किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से तृतीय चयनित वेतनमान के लाभ का भुगतान के संबंध में यदि कोई वसूली आदेश जारी किया गया है तो उक्त नियम, विधि एवं प्रावधानानुसार के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त नियमों, विधि एवं प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.06.2014 को अपास्त फरमाया

जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि तृतीय चयनित वेतनमान के लाभ प्रदान के संबंध में अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जावे तथा उक्त लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में यदि अपीलार्थी की 25 प्रतिशत ग्रेच्युटी राशि का भुगतान रोका गया है, तो उसे भी नियमानुसार उक्त राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे तथा समस्त पेंशन परिलाभ आदि नियमानुसार प्रदान किए जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य